प्राक्कथन

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों, उनके संबंधित/ अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल किए गए हैं। भारत की समेकित निधि से दिए गए अनुदानों/ ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

3. इस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट मामलें वह हैं जो 2019-20 की अवधि हेतु नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए और साथ ही वह जो पूर्व वर्षों में पाए गए थे परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके। 2019-20 के बाद की अवधि के मामले भी, जहां आवश्यक थे, शामिल किए गए हैं।

4. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार की गई है।